न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 123/2019 दायरा दिनांक : 28.08.2019

उनवान

1– नरेन्द्र पुत्र श्री रामचरण आयु 50 वर्ष

2– महेन्द्र पुत्र श्री रामचरण आयु 55 वर्ष

3– लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री भंवरलाल आयु 60 वर्ष

4– जयनारायण पुत्र श्री रामकिशन आयु 50 वर्ष

5– नवल पुत्र श्री मोहनलाल आयु 40 वर्ष

6– पप्पु पुत्र श्री कन्हैयालाल आयु 40 वर्ष जातियान गालव (ब्राह्मण) निवासी ग्राम कोलुखेडा तह0 छबडा बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

मंदिर श्रीराम जानकी जी ग्राम कोलूखेडा तहसील छबडा जिला बारां राज0 जरिये पुजारी संरक्षक एवं प्रबंधक जिसे अपीलांट स्वीकार नहीं करते–

1– महावीर उर्फ महेश पुत्र श्री मांगीलाल आयु 35 वर्ष

2– हेमराज आयु 33 साल पुत्र स्व0 मांगीलाल

3– पंकज आयु 28 साल पुत्र स्व0 मांगीलाल

4– नन्दु आयु 40 साल पुत्र स्व0 मांगीलाल

5– मांगी बाई आयु 60 साल बेवा स्व0 मांगीलाल जातियान बैरागी निवासी ग्राम कोलुखेडा तह0 छबडा बारां राज0

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री मदन लाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री बृजराजसिंह चौहान एवं श्री कमलदीप सिंह
अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्णय दिनांक : 02.02.2021

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या – 57/2017 निर्णय दिनांक 31.07.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 वादी/प्रार्थी द्वारा अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 188,92 ए आर टी0 ए0 का अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा में पेश किया था एवं इसी उनवास का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0ए0 का भी पेश किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी वाके माल ग्राम कोलूखेडा की आराजी खसरा नं0 110 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 265 की रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 343 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नं0 345 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं0 377 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 394 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं0 443 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 25 बीघा 11 बिस्वा के सम्बंध में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का पूर्व में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण किऐ बिना ही मे निर्णय पारित कर वादग्रस्त आराजियात पर रिसीवर सरकार तहसीलदार छबडा को नियुक्त कर दिया गया था। जिसकी अपील माननीय न्यायालय में कि गयी थी माननीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज कर प्रकरण को पुनः सुनवाई कर विधिवत तर्क पूर्ण निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया गया था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित कर अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध बहक प्रार्थी/रेस्पो0 के अस्थायी निषेधाज्ञा पारित कर वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान बाधा उत्पन्न नही करने बाबत आदेश पारित किया है जिसके विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि प्रार्थी/रेस्पोडेंट्स का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा नही है, तथा अप्रार्थी/अपीलांट्स के काबिज काश्त में है। ऐसी सुरत में कब्जे के

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

बिना प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा वाद में जो रिलीफ चाही है, उसे बिना किसी युक्ति युक्त आधार के स्थगन प्रार्थना पत्र में पारित कर मानो दावा का निर्णय कर दिया है। वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज है, तथा गालव ब्राह्मण समाज का मंदिर है, समाज की समिति बनी हुयी है, जो मंदिर की सेवा पुजा व जमीन की काश्त व्यवस्था करवाती है, वर्तमान में भी वादग्रस्त आराजी समिति द्वारा मुनाफा काश्त पर जुपायी है, जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त है एवं फसल सोयाबीन बो रखी है जो एक ढेड माह की हो रही है। प्रार्थी/रेस्पो0 का वादग्रस्त आराजी पर कभी कब्जा काश्त नही रहा है एवं वर्तमान में भी नही है। प्रार्थी/रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में सांठ गांठ कर पूर्व में भी रिसीवर सरकार तहसीलदार का आदेश करवाया था जिसकी आढ़ में वह अपीलांट/अप्रार्थी के कब्जे काश्त से जमीन को हथिया कर उन्हे बेकब्जा करना चाहते थे। उक्त रिसीवर का आदेश न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है, पुनः अधीनस्थ न्यायालय से बिना प्रार्थी के कब्जे व विधिक अधिकारों के अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया जाकर अपी0/अप्रार्थी को प्रार्थी/रेस्पो0 के कब्जे काश्त में बाधा नही पहुचाने का आदेश दिया गया है जबकि उनका वादग्रस्त आराजी पर कब्जा ही नही है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट की फसल सोयाबीन खडी है। अस्थायी निषेधाज्ञा की आढ में रेस्पो0/प्रार्थी अपीलांट की कब्जे काश्त की फसल पर जबरन कब्जा करने पर आमादा हो रहे है एवं पुलिस में झूठी शिकायतें कर अपीलांट को बेकब्जा करने पर आमादा हो रहे है, जो विधि विरूद्ध है। अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस मंदिर गालव ब्राहमण समाज ग्राम कोलूखेडा का होने के सम्बंध में जागो की पोथी व उसका अनुवाद हिन्दी पेश किया गया एवं प्रार्थी/रेस्पो0 द्वारा देवस्थान विभाग कोटा में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति जिसमें अपील का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा होने का कथन है, पेश किया है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे रेकार्ड पर नही लिया नही पत्रावली में शामिल किया गया, नहीं निर्णय में उसका हवाला दिया है एवं मनमाने पूर्ण तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

वादग्रस्त आराजियात मूर्ति मंदिर के खातेदारी में है, मंदिर गालव समाज का है, जिसकी सेवा पूजा व जमीन की काश्त व्यवस्था गालव ब्राह्मण समाज की कार्यकारिणी/समिति करवाती है। वर्तमान में जमीन को समिति ने मुनाफा काश्त पर अपी0/अप्राथी को जुपाया हुआ है जिसमें अपीलांट की सोयाबीन की फसल खडी है रेस्पो0/प्रार्थी का आराजियात पर कब्जा काश्त नही है न ही कभी उनका कब्जा काश्त रहा है, कब्जा के अभाव मे उक्त वाद पोषणीय नही है, एवं प्रार्थना पत्र भी चलने योग्य नही होने से निरस्तनीय है। इस कारण प्रथम बिन्दु वाद का ठोस तथ्यों पर आधारित होना चाहिये भी प्रार्थी/रेस्पो0 के खिलाफ/विरूद्ध है, एवं यदि इस अस्थाई निषेधाज्ञा की आढ में अपी0/अप्रार्थी को बेकब्जा किया गया तो उन्हे भारी परेशानी होगी एवं व्यर्थ ही मुकदम बाजी में उलझना पडेगा एवं अपीलांटस को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति सम्भव नही है। रेस्पो0 द्वारा स्थगन आदेश की आढ में आराजी पर जबरन व पुलिस में झूठी शिकायते कर जमीन/वादग्रस्त पर जबरन कब्जा करने व अपीलांट की फसल को भी उनके द्वारा काट कर ले जाने की धमकी दी जा रही है, इसलिये उक्त आदेश को स्थगित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिसके लिये अपीलांट अधिकारी व नालशी है। प्रार्थी/वादी द्वारा मंदिर की सेवा पूजा करने एवं जमीन वादग्रस्त पर काश्त करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गयी है सेवा पूजा के सम्बन्ध में अधिकारी की घोषणा का वाद सुनने का रेवेन्यु न्यायालय का क्षैत्राधिकार नहीं है, उसके लिये सिविल न्यायालय सक्षम न्यायालय है, एवं वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त वादी/प्रार्थी रेस्पो0 का नहीं है, इस कारण कब्जा के अभाव में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पोषणीय नहीं होने से वाद प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है एवं इनके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में गलती की है, जो निरस्तनीय है।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.02.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2018 का अपास्त कर यह

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

निर्देश दिये गये कि तथ्यों की गहनता से जांच करें तथा यह भी सिद्ध करें कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति किस के पक्ष में है । इस आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2019 को निर्णय पारित किया गया जिसमें यह स्पष्ट किया कि प्रस्तुत रिकार्ड नकल जमाबंदी ग्राम कोलूखेड़ा के अनुसार विवादित आराजी रामजानकी मंदिर जरिये पुजारी जगन्नाथ पुत्र तुलसीदास बैरागी, निवासी कालूखेड़ा का नाम दर्ज था । जगन्नाथ की मृत्यु के बाद उसके वारिसान मांगी लाल वगैरहा का नाम जरिये पुजारी दर्ज किया गया । वर्तमान में मंदिर रामजानकी की खातेदारी में दर्ज है । इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मन्दिर रामजानकी जरिये पुजारी जगन्नाथ के नाम दर्ज थी तथा वर्तमान में रामजानकी की खातेदारी में दर्ज है । क्योंकि भूमि मन्दिर रामजानकी की खातेदारी की है परन्तु मन्दिर की पूजा, देखभाल, मरम्मत, तेलभोग आदि के कारण भूमि पुजारी को काश्त करने के लिए दे दी गई इस कारण से जमाबंदी में पुजारियों का नाम जरिये करके लिख दिया गया है । अपीलांट अप्रार्थी गालव समाज का मन्दिर होना बताते हैं जबकि उन्होंने ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया जिससे मन्दिर गालव समाज का साबित हो सके । मन्दिर सभी समाज का होता है, जाति विशेष का कोई मन्दिर नहीं होता है । गालव समाज द्वारा भूमि मन्दिर को दान की गई होना बताया है परन्तु दान देने का ऐसा कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है जिससे विवादित भूमि गालव समाज द्वारा दान दिया जाना साबित हो सके । अपीलांट द्वारा वर्ष 1995 से वर्ष 1996, 1997, 2002, 2004, 2005, 2006 की अप्रमाणित लिखित दस्तावेज पेश किया है जिसमें पैसों के लेन–देन बाबत हिसाब–किताब अंकित है । इससे भी यह सिद्ध नहीं होता है कि मन्दिर की भूमि गालव समाज द्वारा दान दी गई है । अपीलांट द्वारा सहकारिता विभाग का रजिस्ट्रेशन जरिये ब्राहमण गालव समाज विकास सेवा समिति कोलूखेड़ा दिनांक 21.06.2018 का पेश किया गया है । इस समिति का पंजीकरण भी विगत दो वर्षों में ही करवाया गया है जिसका कोई संविधान भी सलंग्न नहीं है जबकि मन्दिर वर्षों पुराना निर्मित है । इससे भी यह सिद्ध नहीं होता है कि मन्दिर गालव समाज द्वारा बनाया गया है । अतः दिनांक 31.07.2019 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

प्रथम दृष्टया प्रकरण व सुविधा का संतुलन वादी रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया जाना सही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा